82

संख्याः 128 / XV-1/14/ 1(21)/10

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 04 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2014

विषयः चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य को सहायता योजना हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि स्वीकृत करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3132/नि०–5/एक(27)/चारा कार्यक्रम/13–14 दिनांक 30 सितम्बर, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य को सहायता योजना (केन्द्रपोषित योजना) के अन्तर्गत **₹ 75.90 लाख (₹ पिचहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र)** की अग्रिम आहरण की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर प्रदिष्ठ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. व्यय भारत सरकार के निर्देशानुसार केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है।
2. योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि से चारा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य को सहायता के अन्तर्गत फॉडर शीड प्रक्योरमेन्ट एवं डिस्ट्रीव्यूशन योजना संचालित की जानी है। योजना का उद्देश्य पशुपालकों को बहुवर्षीय चारा उत्पादन हेतु निःशुल्क चारा बीज उपलब्ध कराना है ताकि पशुपालक अपने बहुमूल्य पशुधन से पशुजन्य पदार्थों का पूर्ण उत्पाद प्राप्त कर सके।
3. योजनान्तर्गत पशुपालकों को निःशुल्क चारा बीज उपलब्ध कराया जाना है तथा पशुपालक द्वारा उत्पादित बीज, बीज आपूर्ति संस्था (कार्यदायी संस्था) द्वारा वापस क्रय (Buy back) कर लाभान्वित किया जाना है।
4. योजनान्तर्गत पशुपालकों को बर्ष भर बहुवर्षीय चारा बीज यथा बरसीम, चाईनीज कैबेज, जई, सोरघम, मक्का, बाजरा आदि बीज आपूर्ति संस्था (कार्यदायी संस्था) द्वारा वापस क्रय (Buy back) किया जाना है।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर पर्चेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1, वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय संबंधी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
7. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के निय मों यथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. व्यय की सूचना बी०एम०–8 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रथमतः लेखाशीर्षक–8000–आकस्मिकता निधि–राज्य आकस्मिकता निधि–लेखा–201–समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या–30 के लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत–00–107–चारा एवं चारागाह विकास–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–03–चारा विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 16/XXVII(1)/रा०आक०निधि०/2014 दिनांक 28.1.2014

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

संख्याः 128 (1)/XV-1/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग/वित्त अनुभाग–1
7. निदेशक, एन०आई०सी० को बेवसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
8. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
अनु सचिव